**2010:CGHC:9231**

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

---

**एकल पीठ : माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश।**

---

**रिट याचिका (एस) क्रमांक 3243/2005**

**याचिकाकर्ता** श्रीमती सुखमा बाई

**विरुद्ध**

**उत्तरवादीगण** राज्य मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और अन्य

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री सोमकांत वर्मा, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

श्री अजय द्विवेदी, राज्य के लिए उप-शासकीय अधिवक्ता।

---

**मौखिक-आदेश**

(09.03.2010 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने 31 मई 1999 के आदेश (अनुलग्नक पी-7) के साथ-साथ 31 मई 1999 के प्राधिकार पत्र (अनुलग्नक पी-8) को चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव में चपरासी के रूप में कार्यरत थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी जन्म तिथि 22 मई 1934 है। साठ वर्ष की अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के बाद, 1.2.1994 को सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया (अनुलग्नक पी-1), जिसमें कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर रही है, इसलिए उसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है। 14.12.1995 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राजनांदगांव द्वारा संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन को एक पत्र भेजा गया (अनुलग्नक पी-2), जिसमें कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता 31 मई 1934 को सेवानिवृत्त हो रही है, इसलिए उसका पेंशन मामला आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन, रायपुर को किए गए 16.9.1994 के पृष्ठांकन (अनुलग्नक पी-3) में, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.5.1994 बताई गई थी। परिवार लाभ निधि के भुगतान की स्वीकृति से संबंधित 16.9.1994 के पत्र (अनुलग्नक पी-4) में, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मई 1994 बताई गई थी।

3. याचिकाकर्ता के पेंशन मामले की छानबीन करते समय, यह दर्ज किया गया कि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि से संबंधित कुछ **ओवरराइटिंग** (काट-छांट) हुई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव ने 9.5.1997 को संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन को ज्ञापन भेजा, जिन्होंने बदले में, अपने पत्र (अनुलग्नक आर-3) द्वारा सूचित किया कि एक टिप्पणी की गई है जिसके अनुसार सेवा पुस्तिका में 5/5/1933 के स्थान पर 05/05/1934 को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया जाना है, लेकिन याचिकाकर्ता के पेंशन मामले का निपटारा **5.5.1933 को जन्मतिथि मानकर** किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जब स्थिति ऐसी थी, तब राज्य सरकार द्वारा 8.2.1999 को एक आदेश (अनुलग्नक पी-6) जारी किया गया, जिसमें यह दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में ओवरराइटिंग को देखते हुए, **5.5.1933** को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के रूप में स्वीकार और स्वीकृत किया जाता है। इस आधार पर याचिकाकर्ता के पेंशन देने के मामले को संशोधित किया गया। चूंकि पहले याचिकाकर्ता को उसकी जन्मतिथि 5.5.1934 मानकर सेवा में रखा गया था और सेवानिवृत्त किया गया था, इसलिए **उत्तरवादियों** ने न केवल याचिकाकर्ता के पेंशन मामले को संशोधित किया बल्कि याचिकाकर्ता से **वसूली** की कार्यवाही भी शुरू कर दी। 31 मई 1999 के आदेश (अनुलग्नक पी-7) द्वारा, संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन, रायपुर ने याचिकाकर्ता से **₹25,984/- की वसूली** का निर्देश दिया और उसी तारीख को अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान से संबंधित आदेश जारी किया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा दावा किया कि उसकी जन्मतिथि 22.5.1934 है। याचिकाकर्ता निरंतर सेवा मे कार्यरत थी और सेवा पुस्तिका में भी प्रविष्टियाँ याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 दर्शाती थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि से संबंधित कॉलम में कुछ सुधार और ओवरराइटिंग इंगित की गई थी। उनका निवेदन है कि वर्ष 1933 गलत

था और वर्ष 1934 जन्म का सही वर्ष है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्येक दस्तावेज़ में, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.3.1934 दर्ज है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेवा में प्रवेश के समय, वर्ष 1979 में, याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसे **उत्तरवादियों** के जवाब के साथ आभिलेख पर रखा गया है, जो याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 भी दर्शाता है। जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि करने के प्रस्ताव (अनुलग्नक आर-4) में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 दर्ज की थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन द्वारा याचिकाकर्ता की जन्मतिथि को 5.5.1934 के स्थान पर 5.5.1933 स्वीकार करने वाला आदेश **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन** करता है। वह तर्क देते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता ने हमेशा अपनी जन्मतिथि 5.5.1934 पर ज़ोर दिया और उसे ही सही माना, इसलिए याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में कोई भी बदलाव करने से पहले, **उत्तरवादी** अधिकारियों के लिए यह **अनिवार्य** था कि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करके उचित जांच करें और तभी 5.5.1933 की जन्मतिथि पर कार्रवाई की जा सकती थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जन्मतिथि बदलने के प्रभाव से **सिविल परिणाम** उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इसके कारण याचिकाकर्ता, जो एक **निम्न वेतन वाली कर्मचारी** है, से ₹25,984/- की **पर्याप्त राशि की वसूली** हुई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि जब याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद उसके पेंशन मामले को तैयार करते समय उसकी सेवा पुस्तिका की छानबीन की गई, तो यह पता चला कि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में कुछ ओवरराइटिंग की गई थी। प्राधिकरण ने पाया है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि जो मूल रूप से दर्ज की गई थी वह 5.5.1933 थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 5.5.1934 कर दिया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता स्वयं अलग-अलग जन्मतिथियों का दावा कर रही है। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता द्वारा 14.6.1989 को दायर हलफनामे (अनुलग्नक ए-5) में, याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि से संबंधित प्रासंगिक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई हैं, और इसलिए एक हलफनामा प्रस्तुत किया जा रहा है। उस हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने घोषणा की कि उसकी जन्मतिथि 22.5.1934 है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई और सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि 22.5.1934 है। यह दिखाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं सही विवरण नहीं दे रही थी। **उत्तरवादियों** के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आपत्ति उठाए जाने पर, सेवा पुस्तिका की छानबीन की गई और प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सेवा पुस्तिका में

मूल रूप से दर्ज की गई सही जन्मतिथि केवल 5.5.1933 ही प्रतीत होती है। इस निष्कर्ष के आधार पर, संयुक्त निदेशक ने 5.5.1933 को जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया और तदनुसार याचिकाकर्ता का पेंशन मामला तैयार किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि से अधिक समय तक सेवा में रही थी, इसलिए परिणामतः 31.5.1999 को वसूली का आदेश दिया गया, जो उचित और विधि के अनुरूप है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। उनका आगे निवेदन है कि मामले के तथ्य सतह पर स्पष्ट हैं और यदि सुनवाई का कोई अवसर नहीं भी दिया गया है, तो भी कोई भिन्न दृष्टिकोण या निष्कर्ष संभव नहीं है। इस प्रकार, उनके निवेदन में, याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के इस तकनीकी आधार पर कोई राहत पाने की हकदार नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और आभिलेख का अवलोकन किया।

8. पूरी याचिका में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी जन्मतिथि 22.5.1934 थी। 14.6.1989 का हलफनामा (अनुलग्नक ए-5) दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अपनी जन्मतिथि 22.5.1934 घोषित की थी कि उसकी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि दर्ज नहीं की गई है। **उत्तरवादियों** ने याचिकाकर्ता का 21.11.1979 को लिया गया हलफनामा आभिलेख पर रखा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि 5.5.1934 घोषित की थी। **उत्तरवादियों** ने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जन्मतिथि में सुधार के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव का प्रस्ताव भी आभिलेख पर रखा है, जिसमें 5.5.1934 को सही जन्मतिथि के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की गई थी। याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका की फोटोकॉपी का अवलोकन दर्शाता है कि कॉलम-5 में अलग-अलग प्रविष्टियाँ की गई हैं। इसमें 5.5.1933 और 5.5.1934 दोनों शामिल हैं। इस बात पर विवाद नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के संबंध में कुछ विवाद था। हालांकि, यह नहीं पाया गया है कि पूरे मामले में कोई जांच की गई थी, और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। हालांकि, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31.5.1994 तक, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 के रूप में दर्ज और स्वीकार की गई थी। **उत्तरवादी** अधिकारियों द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश सहित विभिन्न आदेश, जो अनुलग्नक पी-1, पी-2, पी-3 और पी-4 के रूप में आभिलेख पर रखे गए हैं, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1979 में प्रस्तुत हलफनामा और याचिकाकर्ता की जन्मतिथि से संबंधित प्रस्ताव (अनुलग्नक आर-4), यह इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 है। 5.5.1933 को सही जन्मतिथि के रूप में स्वीकार करने का एकमात्र आधार संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन, रायपुर द्वारा बनाया गया यह मत है कि कुछ ओवरराइटिंग के कारण, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के रूप में केवल 5.5.1933 को ही स्वीकार किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाना चाहिए। किसी भी प्राधिकरण द्वारा **यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है** कि सेवा पुस्तिका में मूल रूप से कौन सी जन्मतिथि दर्ज की गई थी और उसका आधार क्या था।

9. चूंकि याचिकाकर्ता को **उत्तरवादियों** द्वारा उसकी जन्मतिथि **5.5.1934** मानकर **31.5.1994** को सेवानिवृत्त किया गया था, यह स्पष्ट है कि उस तारीख तक सेवा पुस्तिका में प्रासंगिक प्रविष्टियों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 5.5.1934 दर्शाई गई थी। इसे बाद में 5.5.1933 में बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई हुई। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को उचित और समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रविष्टियों में यह बदलाव नहीं किया जा सकता था। **उत्तरवादियों** के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मूल रूप से यह 5.5.1933 दर्ज था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 5.5.1934 कर दिया गया और इसलिए केवल 5.5.1933 को ही जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, **स्वयं ही विवादित है**। 5.5.1933 या 5.5.1934 में से कौन सी तारीख मूल रूप से जन्मतिथि के रूप में दर्ज थी, यह स्वयं एक जांच का विषय था। इसलिए, **उत्तरवादियों** के लिए यह **अनिवार्य** था कि वे पूरे मामले की उचित और समुचित जांच करते और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम डॉ. (मिस) बिनपाणि देई और अन्य, एआईआर 1967 एससी 1269' के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के विषय पर विचार करते हुए कहा:

"12. यह सच है कि डॉ. एस. मित्रा द्वारा कुछ प्रारंभिक जांच की गई थी। लेकिन उस जांच अधिकारी की रिपोर्ट पहले उत्तरदायी को कभी नहीं बताई गई। इसके बाद, पहले उत्तरदायी को कारण बताने के लिए कहा गया कि 16 अप्रैल, 1907 को जन्मतिथि के रूप में क्यों न स्वीकार किया जाए और बिना किसी साक्ष्य को दर्ज किए आदेश पारित कर दिया गया। हम सोचते हैं कि ऐसी जांच और निर्णय न्याय की मूल अवधारणा के विपरीत थे और उनका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। यह सच है कि आदेश प्रशासनिक प्रकृति का है, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश भी जिसका सिविल परिणाम हो, जैसा कि पहले ही कहा गया है, पहले उत्तरदायी को राज्य का मामला, उसके समर्थन में साक्ष्य की जानकारी देने और पहले उत्तरदायी को सुनवाई और साक्ष्य का जवाब देने या समझाने का अवसर देने के बाद प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए थे, हमारी राय में, उच्च न्यायालय का आदेश सही था।"

इसी तरह की स्थिति में, जहाँ कर्मचारी को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा आभिलेख में दर्ज जन्मतिथि बदल दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सरजू प्रसाद बनाम जनरल मैनेजर और अन्य, एआईआर 1981 एससी 1481 के मामले में कहा:

"1..... **स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम डॉ. (मिस) बिनपाणि देई, एआईआर 1967 एससी 1269**।इस न्यायालय ने माना कि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि को नोटिस दिए बिना और उसे अवसर दिए बिना उसके नुकसान और पूर्वाग्रह के लिए नहीं बदला जा सकता है क्योंकि एक प्रशासनिक आदेश जिसका सिविल परिणाम हो, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जिसके निम्नतम रूप में भी प्रभावित व्यक्ति को नोटिस और अवसर की आवश्यकता होती है। यह स्वीकार्य रूप से नहीं किया गया है, इस छोटे से आधार पर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने वाले आदेश के साथ-साथ जन्मतिथि को सही करने वाले आदेश को भी रद्द करते हैं।"

हरि सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2000) 10 एससीसी 284 के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया और कहा गया:

"2......हालांकि हम इस पहलू पर कोई जांच नहीं कर रहे हैं, हमारी राय में, सरकार का विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार ने कभी भी कर्मचारी को यह इंगित करने के लिए नोटिस नहीं दिया कि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि गलत है, हालांकि वह ऐसा कर सकती थी। चूंकि संबंधित कर्मचारी को सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि के अलावा किसी अन्य जन्मतिथि को स्वीकार करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए सेवानिवृत्ति का विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है। हम अपीलकर्ता की जन्मतिथि बदलने वाले विवादित आदेश को रद्द करते हैं। यह माना जाएगा कि अपीलकर्ता विधि के अनुसार विधिवत अधिवार्षिकी होने तक सेवा में बना हुआ है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ **उत्तरवादियों** ने, याचिकाकर्ता की की जानकारी के बिना भी, विस्तृत जांच की हो और आभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे हों। **उत्तरवादियों** ने स्वयं याचिकाकर्ता का 21.11.1979 को लिया गया हलफनामा (अनुलग्नक आर-4) आभिलेख पर रखा है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि **5.5.1934** है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों, 5.5.1934 और 22.5.1934, का दावा किया है, दोनों मामलों में जन्म का वर्ष एक ही है। मामले के आभिलेख से उभरने वाली परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि **उत्तरवादियों** ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को उसकी सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद **5.5.1933** में बदलकर **अवैधता** की। इसके अलावा, यह सब याचिकाकर्ता को उचित और समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया। इस प्रकार, मैं **उत्तरवादियों** की कार्रवाई को बरकरार रखने में असमर्थ हूँ।

11. परिणामस्वरूप, याचिका **स्वीकार** की जाती है और 8.2.1999 का आदेश (अनुलग्नक पी-6), 31.5.1999 का आदेश (अनुलग्नक पी-7) **वसूली की सीमा तक** और 31.5.1999 का आदेश (अनुलग्नक पी-8) **वसूली की सीमा तक** अवैध घोषित किए जाते हैं और एतद्द्वारा **रद्द** किए जाते हैं।

12. **उत्तरवादी** संख्या 3 मामले की उचित जांच करेगा और याचिकाकर्ता को उचित और समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। यदि परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 5.5.1934 थी, तो याचिकाकर्ता से वसूल की गई **पूरी राशि** उसे समय-समय पर प्रचलित ब्याज दर के साथ **वापस की जाएगी**। **उत्तरवादी** संख्या 3 जितनी जल्दी हो सके जांच पूरी करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से **3 महीने** की अवधि के भीतर इस कार्रवाई को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को जांच की कार्यवाही में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनींद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा ति वा री